Nehru Rojgar Yojana (NRY) introduced during 1989-90.

(ii) Footpath Dwellers Night Shelter Scheme introduced in 1988-89 to provide for shelter and sanitation facilities to the pavement dwellers in cities.

Apart from the above, no other scheme for urban poor has been launched by Government.

However, a scheme named Indira Awas Yojana is being implemented by Government since 1985-86 to provide free dwelling units to rural poor belonging to SC/ST and freed bonded labourers. The scope of this scheme has since been enlarged in 1993-94 with additional allocations to cover SC/ST rural poor.

Another rural housing scheme has been launched recently with a view to Strengthen and enhance various efforts made in different States to provide housing for persons below poverty line and persons belonging to weaker sections of society. Under this scheme, funds are provided to the States to the extent of 50 per cent of the total allocations made by them for rural housing programme over and above the level of expenditure incurred by them in 1992-93. The total outlay during 8th Plan for this scheme is Rs. 350 crores.

(c) The progress of implementation of the above mentioned two rural housing schemes in Gujarat is as under :—

Scheme	Amount released (Rs. in lakhs)	Dwelling units
Indira Awas Yojana	5234·07	52170
Rural Housing Scheme for persons below poverty line and Weaker sections	176·00	Not available

गुजरात में पेयजल हेतु स्वीकृत योजनाएं

623. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात के शहरी क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने की कितनी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक योजना के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ;

(ग) राज्य के वे अन्य शहर और नगर कौन-कौन से हैं जिनके लिए इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है ; और

(घ) इन योजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए सुलभ शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत गुजरात के शहरी क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए 8 स्कीमें मंजूर की गई हैं।

(ख) 71.09 लाख रुपए की राशि दे दी गई है। प्रत्येक कस्बे के लिए स्कीम-वार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है **(नीचे देखिए)**।

(ग) कोई नहीं।

(घ) राज्य सरकार से चुने गये कस्बों की विस्तृत रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है अतः पूर्ण होने की सम्भावित तारीख ज्ञात नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	कस्बे का नाम	जिला	अनुमानित लागत (1991 को)	केन्द्रीय अंश कालम 4 का 50 प्रतिशत	केन्द्रीय शिक्षा अनुमोदित के अंश का पहली किश्त के रूप में 25 प्रतिशत
1	परमपुर	वलसाड	47.42	23.71	5.93
2	वानिवा	जूनागढ़	68.89	34.45	8.61
3	धरोल	जामनगर	130.00	65.00	16.25
4	सूरजकाराडी	जामनगर	80.00	40.00	10.00
5	ओखापोर्ट	जामनगर	55.00	27.50	6.88
6	जोडिया	जामनगर,	92.13	46.07	11.52
7	बरवाला	अहमदाबाद	38.89	19.45	4.86
8	मेनदादो	जूनागढ़	56.29	28.15	7.04
		कुल :	568.62	234.33	71.09

शहरों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

624. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल** : क्या **शहरी** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शहरों के विकास के वित्तीय सहायता का कोई प्रावधान किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गुजरात के अहमदाबाद, बड़ौदरा, सूरत, भाव-नगर, राजकोट, जूनागढ़, में कच्छ, भुज और महसाना शहरों के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त शहरों के लिए अलग-अलग से कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) मेगा शहरों में अवस्थापना विकास के लिए एक केन्द्र प्रवर्तित योजना वर्ष 1993-94 से शुरू की गयी है। यह योजना बम्बई, कलकत्ता मद्रास, हैदराबाद और बंगलौर के लिए लागू है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की वित्तीय पद्धति: 25% केन्द्र सरकार, 25% राज्य सरकार और 50% संस्थागत वित्त मेगा शहरों को वर्ष 1993-94 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

(रुपए करोड़ों में)

मेगा शहरों का नाम	वर्ष 1993-94 के दौरान दी गई धनराशि
बम्बई	20.00
कलकत्ता	20.00
मद्रास	15.00
हैदराबाद	15.00
बैंगलूर	00.00
	70.00

वर्ष 1994-95 के दौरान रु० 75 करोड़ का बजट प्रावधान है।